

अध्याय 20

दिल्ली में गरीबी रेखा

गरीबी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्तियों या समुदायों के पास संसाधनों, योग्यता और अवसरों का अभाव होने के कारण वे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। गरीबी उन मुद्दों में से एक है जो समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों तथा मानव कल्याण और विकास से संबंधित लगभग सभी अन्य संगठनों को आकर्षित करते रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कोई व्यक्ति आरामदायक जीवनशैली के लिए समुचित जीवन स्तर बनाए रखने में नाकामयाब हो जाता है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 68वें दौर (जून 2011 से जुलाई 2012) के आधार पर योजना आयोग ने गांवों और शहरों में गरीबी रेखा की राज्यवार रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अनुसार दिल्ली में ग्रामीण गरीबी रेखा का स्तर 1145 रुपये और शहरों में 1134 रुपये होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 816 रुपये और 1000 रुपये है। दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा, विवरण 20.1 में दी गई है।

विवरण 20.1

दिल्ली की गरीबी रेखा का स्तर

(प्रतिव्यक्ति मासिक रु.)

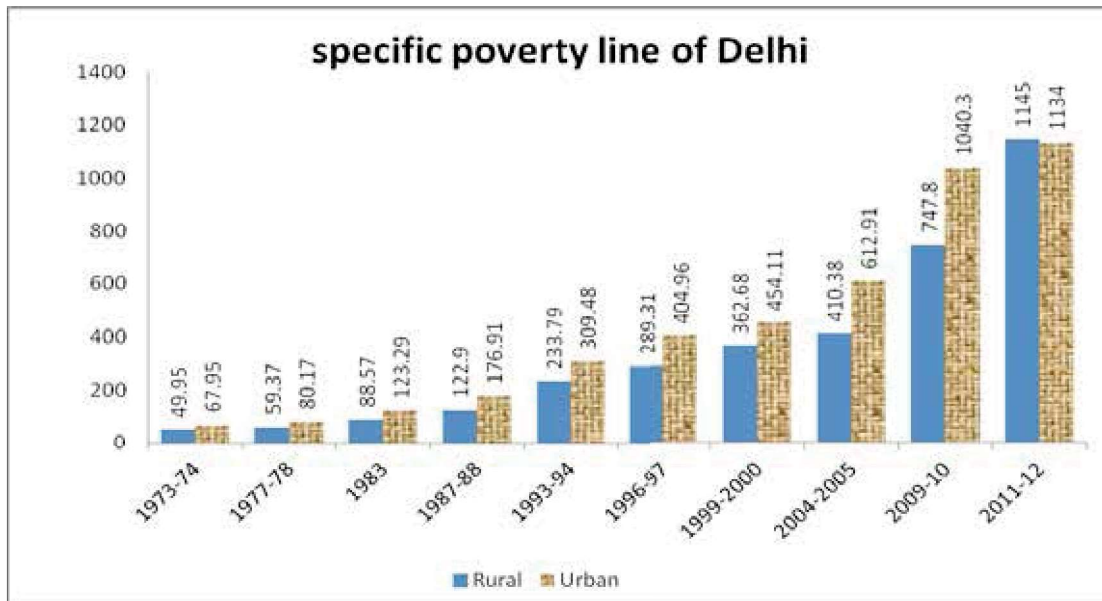
क्र सं	वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1.	1973-74	49.95	67.95
2.	1977-78	59.37	80.17
3.	1983	88.57	123.29
4.	1987-88	122.90	176.91
5.	1993-94	233.79	309.48
6.	1996-97	289.31	404.96
7.	1999-00	362.68	454.11
8.	2004-05	541.39	642.47
9.	2009-10	747.80	1040.3
10.	2011-12	1145.00	1134.00

स्रोत : योजना आयोग (नीति आयोग), भारत सरकार

- विवरण 20.1 से स्पष्ट पता चलता है कि वर्ष 2011-2012 के दौरान योजना आयोग के निर्धारकों के अनुसार न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए शहरी दिल्ली में प्रति व्यक्ति मासिक 1134 रुपये की जरूरत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि प्रति व्यक्ति 1145 रुपये प्रतिमाह आंकी गई। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह अपेक्षित राशि में प्रति वर्ष पर्याप्त वृद्धि हुई है। दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा के बारे में जानकारी चार्ट 20.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 20.1
दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा

(प्रतिव्यक्ति मासिक रु.)



4. 1973-2012 के दौरान दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी विवरण 20.2 में प्रस्तुत की गयी है।

विवरण 20.2
दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे के लोग – शहरी और ग्रामीण

(संख्या लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	शहरी		ग्रामीण		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या
1.	1973-74	21.78	95.36	1.06	4.64	22.84	100.0 (49.61)
2.	1977-78	16.81	92.57	1.35	7.43	18.16	100.0 (33.23)
3.	1983	17.95	97.61	0.44	2.39	18.39	100.0 (26.22)
4.	1987-88	10.15	99.02	0.10	0.98	10.25	100.0 (12.41)
5.	1993-94	15.32	98.78	0.19	1.22	15.51	100.0 (14.69)
6.	1999-2000	11.42	99.39	0.07	0.61	11.49	100.0 (8.23)
7.	2004-2005	18.9	93.10	1.4	6.90	20.3	100.0 (13.1)
8.	2009-10	22.9	98.28	0.30	1.29	23.3	100.0 (14.2)
9.	2011-12	16.46	97.05	0.50	2.95	16.96	100.0 (9.91)

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, 2016

नोट: कोष्ठक के आंकड़े कुल जनसंख्या का प्रतिशत हैं।

5. उपरोक्त तालिकाओं 20.2 और 20.3 से यह स्पष्ट है कि 1973-74 के दौरान दिल्ली की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 16.96 लाख होने का अनुमान लगाया गया था जो दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत है। 1999-2000 में दिल्ली की कुल जनसंख्या में से गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने

वालों की संख्या घटकर 8 प्रतिशत के एक अंकीय स्तर पर आ गयी। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की वजह से भारत और दिल्ली में गरीबी के स्तर में भारी गिरावट आयी है। दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के स्तर में गिरावट के विभिन्न कारण हैं, जैसे सेवा क्षेत्र में भारी विकास। अध्ययन की अवधि के दौरान भारत और दिल्ली में गरीबी के स्तर के बारे में सूचना विवरण 20.3 में दी गयी है।

विवरण 20.3

दिल्ली और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

(प्रतिशत)

क्रम सं	वर्ष	भारत	दिल्ली
1.	1973-74	54.88	49.61
2.	1977-78	51.32	33.23
3.	1983	44.48	26.22
4.	1987-88	38.26	12.41
5.	1993-94	35.97	14.69
6.	1999-2000	26.10	8.23
7.	2004-2005	37.2	13.1
8.	2009-2010	29.8	14.2
9.	2011-2012	21.92	9.91

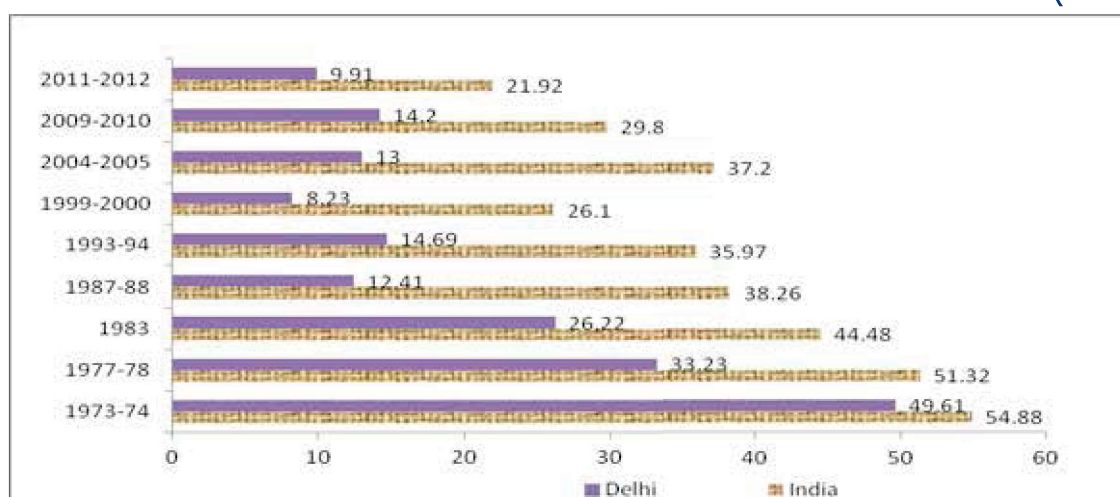
स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक

6. विवरण 20.3 में यह देखा जा सकता है कि अध्ययन की अवधि के दौरान दिल्ली की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वालों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से हमेशा कम रहा है। 2011-12 के दौरान देश की 21.92 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि दिल्ली के लिए यह संख्या 9.91 प्रतिशत थी। भारत और दिल्ली में 1973-74 से 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या के बारे में जानकारी चार्ट 20.2 में दी गयी है।

चार्ट 20.2

दिल्ली और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

(प्रतिशत)



7. घरेलू उपभोक्ता खर्च का स्तर और स्वरूप

घरेलू उपभोक्ता व्यय का अर्थ है किसी परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू खपत पर किया गया व्यय। यह वस्तुओं के विभिन्न समूहों यानी भोजन, ईंधन, प्रकाश, कपड़े, जूते, विविध माल और सेवाओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग का कुल मौद्रिक मूल्य है। एकत्र की गई जानकारी में संदर्भ अवधि के दौरान परिवार के स्तर पर घरेलू उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं (यानी वस्तुओं और सेवाओं) के मौद्रिक मूल्य का योग शामिल है। यह न केवल परिवार की निर्वाह स्थिति तय करने के लिए उपयोगी है, बल्कि शोधकर्ताओं को गरीबी रेखा, पोषण की स्थिति, भोजन की पर्याप्तता आदि पर आगे के अध्ययन के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए भी उपयोगी है। ये राज्य स्तर पर जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर डेटा के प्राथमिक स्रोत हैं। घरेलू उपभोक्ता व्यय घरेलू खपत की मात्रा और मूल्य के बारे में जानकारी एकत्र करता है। किसी परिवार के लिए भोजन और गैर-खाद्य पदार्थों के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय इसके कुल खपत व्यय को इसके आकार से विभाजित किया जाता है और प्रति माह (30 दिन) के आधार पर व्यक्त किया जाता है।

- 7.1 आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर कराये जाने वाले सर्वेक्षणों के दौरों के आधार पर “दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता खर्च का स्तर और स्वरूप” नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके 64वें दौर (जुलाई 2007–जून 2008), 66वें दौर (जुलाई 2009–जून 2010) और 68वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) के अनुसार खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च के बारे में जानकारी विवरण 20.4 में दी गयी है।

विवरण 20.4

दिल्ली में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय

क्र सं	दौर/क्षेत्र	खाद्य	खाद्येतर	कुल
1.	63 वां दौर (जुलाई 2006–जून 2007)			
	क. शहरी	733.53	1238.66	1972.19
	ख. ग्रामीण	553.05	751.22	1304.27
	ग. कुल	697.40	1141.07	1838.47
2	64वां दौर (जुलाई 2007–जून 2008)			
	क. शहरी	770.21	1307.83	2078.04
	ख. ग्रामीण	740.72	962.58	1703.30
	ग. कुल	767.72	1278.71	2046.43
3	66वां दौर (जुलाई 2009–जून 2010)			
	क. शहरी	1036.21	1868.66	2904.87
	ख. ग्रामीण	771.28	989.75	1761.03
	ग. कुल	1014.48	1796.57	2811.05
4	68वां दौर (जुलाई 2011–जून 2012)			
	क. शहरी	1489.02	2352.52	3841.54
	ख. ग्रामीण	1182.74	1378.41	2561.16
	ग. कुल	1461.54	2265.12	3726.66

स्रोत: डीईएस, राराक्षे दिल्ली सरकार

- 7.2 विवरण 20.4 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी दौरो में खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक था। सर्वेक्षण के 68वें दौर में 66वें दौर की तुलना में इन वस्तुओं पर कुल प्रति व्यक्ति खर्च 32.57 प्रतिशत बढ़ा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनुसार खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च 39.22 प्रतिशत रहा और बाकी 60.78 प्रतिशत खाद्येतर वस्तुओं पर हुआ।
- 7.3 खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आखिरी चार दौरों में प्राप्त सूचना (परिवार का औसत आकार 4.06) विवरण 20.5 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 20.5
दिल्ली में औसत मासिक घरेलू खर्च

क्र सं	दौर/क्षेत्र	खाद्य	खाद्येतर	कुल
1	63 वां दौर (जुलाई 2006–जून 2007)			
	क. शहरी	3312.26	5593.14	8905.40
	ख. ग्रामीण	2929.21	3978.85	6908.06
	ग. कुल	3244.89	5309.22	8554.11
2	64वां दौर (जुलाई 2007–जून 2008)			
	क. शहरी	3445.38	5850.37	9295.75
	ख. ग्रामीण	3308.01	4298.86	7606.87
	ग. कुल	3433.78	5719.28	9153.06
3	66वां दौर (जुलाई 2009–जून 2010)			
	क. शहरी	4407.12	7947.66	12354.78
	ख. ग्रामीण	3647.99	4681.26	8329.25
	ग. कुल	4350.67	7704.73	12055.40
4	68वां दौर (जुलाई 2011–जून 2012)			
	क. शहरी	6055.23	9566.70	15621.93
	ख. ग्रामीण	4696.16	5473.08	10169.24
	ग. कुल	5930.61	9191.34	15121.95

स्रोत: डीईएस, राराक्षे दिल्ली सरकार

- 7.4 विवरण 20.5 से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में पिछले दो दौरों (66वें और 68वें) में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च 25.44 प्रतिशत बढ़ा। खाद्येतर वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च 68वें दौर में 60.78 प्रतिशत रहा जो 68वें दौर में खाद्येतर वस्तुओं के प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के बराबर ही रहा।
- 7.5 शहरी दिल्ली और शहरी भारत में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता खर्च की जानकारी विवरण 20.6 में प्रदर्शित की गई है।

विवरण 20.6

शहरी दिल्ली और शहरी भारत में 2011-12 में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं की मासिक प्रति व्यक्ति व्यय

क्र. सं.	मद	शहरी	
		दिल्ली	भारत
I.	खाद्य वस्तुएं		
1.	अनाज और अनाज के प्रतिस्थापन	5	7
2.	दलहन और उनके उत्पाद	1	2
3.	दूध और उसके उत्पाद	11	7
4.	खाद्य तेल	2	3
5.	गोشت, अंडा	1	4
6.	सब्जियां	5	4
7.	फल (ताजा और मेवा)	3	3
8.	चीनी/नमक/मसाले	3	4
9.	पेय पदार्थ	9	9
	आंशिक योग	40	43
II.	गैर खाद्य वस्तुएं		
1.	पान/तम्बाकू/मादक पदार्थ	1	2
2.	ईंधन और प्रकाश	6	7
3.	वस्त्र, बिस्तर और जूते आदि	7	6
4.	विविध उपभोक्ता वस्तुएं *	4	4
5.	विविध उपभोक्ता सेवाएं @	17	14
6.	किराया	6	6
7.	उपभोक्ता कर	1	1
8.	टिकाऊ वस्तुएं	7	5
9.	शिक्षा	8	7
10.	चिकित्सा (संस्थागत और गैर-संस्थागत)	3	5
	आंशिक योग	60	57
	कुल खर्च	100.00	100.00

स्रोत : राराक्षे दिल्ली सरकार, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का 68वां दौर 2011-12)

नोट : 1-*विविध उपभोक्ता वस्तुओं में व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं, प्रसाधन सामग्री और इससे संबंधित चीजें शामिल हैं।

2- @विविध उपभोक्ता सेवाओं में मनोरंजन उपभोक्ता सेवाओं और आवागमन पर खर्च शामिल है।

- 7.6 विवरण 20.6 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शहरी दिल्ली में परिवारों द्वारा खर्च हर 100 रुपये में से 40 रुपये खाद्य वस्तुओं पर और बाकी 60 रुपये खाद्येतर वस्तुओं पर खर्च हुए। समूचे भारत के लिए यह खर्च 43 रुपये और 57 रुपये रहा।

8. गरीबी उन्मूलन के लिए की गई पहल

- 8.1 2015 के बाद से दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, बिजली और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की है। गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजना/ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे मुख्य योजनाएं/ कार्यक्रम हैं :-

- वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता
- दिव्यांगों को वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- संकट में महिलाओं को वित्तीय सहायता
- लाडली योजना
- बेटियों की शादी करने के लिए गरीब विधवाओं को, और अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता।
- पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी और मेरिट छात्रवृत्ति की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित विद्यार्थियों को कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में छात्रवृत्ति
- पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति
- मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों के लिए – छात्रवृत्ति और वजीफा
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
- पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी
- डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी
- दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं
- सरकारी अस्पतालों और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त/कम लागत वाला इलाज
- महिला यात्रियों के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों में मुफ्त बस सेवाएं

8.2 इसके अलावा, वर्ष 2017 के दौरान राराक्षे दिल्ली सरकार ने विभिन्न प्रकार के कामगार/कर्मचारी अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और लिपिकीय और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में भी काफी वृद्धि की है। इस कदम से गरीबी में कमी आएगी और लाभार्थी समूह के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा।

8.3 सब्सिडी का प्रभाव

- दिल्ली के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सभी सब्सिडी के संचयी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, योजना विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, की सहायता से सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च, 2020 के दौरान परिवारों के 3450 नमूनों का अध्ययन किया गया था।
- अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले तीन महीनों में, सभी सर्वेक्षित परिवार, कम या शून्य बिजली बिल द्वारा लाभान्वित हुए हैं, जबकि 76.1 प्रतिशत कम या शून्य पानी के बिल आने पर लाभान्वित हुए हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त/कम लागत वाले उपचार द्वारा 64.7 प्रतिशत

लाभान्वित हुए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ 58 प्रतिशत परिवारों द्वारा उठाया गया है और 43.7 प्रतिशत परिवार, मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा की सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।

- दिल्ली के नागरिकों को उपर्युक्त सभी सब्सिडी के कारण, अब एक परिवार में औसतन 2464 रुपये प्रति माह की बचत हो रही है। हर महीने, प्रति परिवार में कम या शून्य बिजली बिल के कारण 715 रुपये की, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत वाले उपचार के कारण रुपये 693, मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा का लाभ उठाकर रुपये 554, कम या शून्य जल बिल के कारण रुपये 255 तथा बस की मुफ्त सवारी का लाभ उठाकर 247 रुपये की बचत हो रही है।
- अध्ययन में आगे कहा गया है कि यद्यपि कम या शून्य बिजली बिल के कारण अधिक संख्या में परिवारों को लाभ होता है, लेकिन एक महीने में सबसे अधिक बचत मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा (रुपये 1267) से होती है, इसके बाद सरकारी अस्पताल में मुफ्त या कम लागत के इलाज की सुविधा से (रुपये 1071) बचत होती है, फिर कम या शून्य बिजली बिल (रुपये 715), महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी (426 रुपये) और कम या शून्य पानी बिल (रुपये 325) से बचत होती है।
- अधिकांश परिवारों (61.6%) ने सूचित किया कि उन्होंने सब्सिडी के कारण बचाए गए अतिरिक्त धन को पहले ही खर्च कर दिया है; 28.4% ने इस धन को एफडी, पोस्ट ऑफिस, बीमा, बैंक बचत, संपत्ति, आदि में निवेश किया है; और 7.2% परिवार निकट भविष्य में यह धन खर्च करने वाले हैं और 2.8% परिवारों ने सब्सिडी के कारण हुई अतिरिक्त बचत राशि को उधार दिया है।
- सब्सिडी के कारण हुई अतिरिक्त बचत राशि को पहले ही खर्च कर चुके परिवारों में से 50.7% ने उसे खाद्य और पेय पदार्थों (फल, सब्जी, दाल, चावल, आटा, चाय, कॉफी, अल्पाहार चीजों आदि) पर व्यय किया, 13.1% ने शिक्षा से संबंधित खरीद (किताबें, स्टेशनरी, परियोजना सामग्री, ट्यूशन) के लिए खर्च किया, 10.1% ने चिकित्सा उपचार और दवाओं के लिए खर्च किया/खर्च करने वाले हैं, 7.9% ने कपड़े और सामान (कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, काले चश्मे, आभूषण आदि) के लिए व्यय किया, 7.3% परिवारों ने उपकरणों/परिसंपत्तियों (सेल फोन, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, स्टोव, माइक्रोवेव, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि) के लिए, 6.7%, ने मनोरंजन (फिल्मों, संगीत, पिकनिक, यात्राएं) और 4.5% परिवारों ने अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय किया है।

9. निष्कर्ष

"नागरिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर दिल्ली सरकार की सब्सिडी के प्रभाव के अध्ययन" के परिणामों ने दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं का आकलन किया। इस अध्ययन से पता चला कि सब्सिडी से लाभान्वित परिवारों की बचत और व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लाभान्वित परिवारों ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत सब्सिडी प्रदान करने में कुछ भी बुरा नहीं है। ये लाभ आय को बनाए रखते हैं और निम्न आय समूहों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार समाज के कल्याण को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार, अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी समाज के निचले तबके के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जारी रखी जा सकती है।